तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **गणपत लाल बनाम ओमप्रकाश** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/587**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा अपीलान्ट्स का अपील मीमो एवं सम्मन में पता अंकित किया है वहा पर अपीलान्ट्स या अपीलान्ट्स के परिवारजन निवास नही करते है बल्कि अपीलान्ट्स व अपीलान्ट्स के परिवारजन ग्राम भाजुपुरा तहसील बस्सी में निवासी करते है लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने जानबुझकर अपीलान्ट्स के गलत पते पर सम्मन भेजकर तामील कुलिन्दा से साजकर गलत तरीके से आसामी घर पर मौजूद नही मिला की रिपोर्ट करवाई गई है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स की तामील मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.07.2022 पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह कहता है कि किसी भी प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर सांगानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 को निरस्त फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 व 7 एवं 8 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये है एवं अपीलार्थीगण के परिवारजन द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने पर नोटिस चस्पानगी से तामिल कराया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.07.2022 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र	

सांगानेर जयपुर

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर रेस्पोडेन्ट संयोजित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये है जिन नोटिसेज पर तामिल कुलिन्दा द्वारा अपीलाथी संख्या 1 के पुत्र द्वारा नोटिस लेने से इन्कार एवं नोटिस खुले मकान पर चस्पानगी की रिपोर्ट की गई है जबकि अपीलार्थीगण कहना है कि रेस्पोडेंन्ट द्वारा गलत पता अंकित किया गया है जबकि वे ग्राम भाजुपुरा तहसील बस्सी में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से नही कराई गई और अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः दो माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिवक्ता उभयपक्ष दिनांक 20.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर के समक्ष उपस्थित हो।

4/2/23

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।